

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 113]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 मार्च 2014—फाल्गुन 10, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2014

क्र. एफ ए-3-28-2013-1-पांच (08).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

अनुसूची 2 में,—

(एक) भाग दो में,—

(क) अनुक्रमांक 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“10. एविएशन टर्बाईन फ्यूल 4”;

(ख) अनुक्रमांक 30 के सम्मुख, कॉलम (2) में, मद (एक) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(दो) भाग तीन में, अनुक्रमांक 1 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

2. ये संशोधन 01 मार्च 2014 से प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2014

क्र. एफ ए-3-28-2013-1-पांच (08).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-28-2013-1-पांच (08), दिनांक 1 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 1st March 2014

No. F.A-3-28-2013-1-V-(08).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in Schedule II of the said Act, namely:—

AMENDMENTS

In Schedule II,—

(i) in Part—II,—

(a) after serial number 9, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

“10. Aviation Turbine Fuel 4”;

(b) in Serial number 30, in column (2), item (i) and entries relating thereto shall be omitted;

(ii) in Part—III, Serial number I and entries relating thereto shall be omitted.

2. These amendments shall come into force from 01st March 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy.Secy.